भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 916

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी

916. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री कृष्णपालसिंह यादवः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः
डॉ. सुजय विखे पाटीलः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत ने अन्य देशों को कोयला निर्यात किया है, यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय कोयले के मुख्य बाजारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश के स्वच्छ कोयला भंडारों की अनुमानित मात्रा क्या है; और

(च) देश में कोलबेड मीथेन की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): सरकार ने कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और कोयले के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार का ध्यान कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को समाप्त करने पर है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम ऑफर पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं।

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सभी आवश्यक संसाधनों जैसे पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/साइलो के जरिए मशीनीकृत लोडिंग जैसी निकासी अवसंरचनाओं, रेल परियोजनाओं आदि को पूरा करने हेतु पहचान कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआईएल खानों (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं) के विस्तार, नई खानों (ग्रीनफील्ड परियोजनाओं) को खोलने, भूमिगत (यूजी) और ओपनकास्ट (ओसी) अपनी दोनों खानों के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अपनी यूजी खानों में, जहां भी व्यवहार्य हो,

सीआईएल मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) के साथ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज (एमपीटी) को अपना रही है। सीआईएल ने हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। अपनी ओसी खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपर और सरफेस माइनर्स में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

ii. नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकासित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (नवंबर, 2023 तक) के दौरान देश द्वारा किए गए कोयले का निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

[आंकड़े मिलियन टन (मि.ट) में.]

वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (नवंबर, 2023 तक)**
निर्यात	2.945	1.316	1.166	0.78

(ग): देश में उत्पादित अधिकांश कोयले की खपत घरेलू स्तर पर की जाती है। देश में प्रमुख कोयला खपत वाले क्षेत्र विद्युत (कैप्टिव विद्युत उत्पादन सहित), इस्पात, सीमेंट, स्पंज-आयरन और उर्वरक हैं।

(घ): सरकार ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. देश में सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) को बढ़ावा देने के लिए, गैसीकरण उद्देश्य में प्रयुक्त कोयले के लिए भावी सभी वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए राजस्व शेयर में 50% छूट का प्रावधान किया गया है बशर्ते कि गैसीकरण के लिए प्रयुक्त कोयले की मात्रा कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% हो। इसके अलावा, नए कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराने हेतु गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के अंतर्गत अलग नीलामी विंडो बनाई गई है। अनेक कोयला गैसीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड प्रति वर्ष 1.27 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) नीम-कोटिड यूरिया का उत्पादन करने के लिए एक एकीकृत कोयला गैसीकरण-आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित कर रही है। वर्तमान में, परियोजना निर्माणाधीन चरण में है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में कोयला गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूर्व-

व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं। एनएलसीआईएल परियोजना के लिए, संयंत्र के निर्माण और प्रचालन के लिए एजेंसी के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

ii. भारत सरकार ने यूसीजी के विकास को सक्षम बनाने के लिए सितंबर, 2016 में भूमिगत गैसीकरण (यूसीजी) नीति अधिसूचित की है ताकि कोयला और लिग्नाइट संसाधनों के उपयोग को अधिकतम किया जा सके और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके।

iii. भारत सरकार ने सीबीएम के विकास के लिए वर्ष 1997 में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति तैयार की थी। इस नीति के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) प्रशासनिक मंत्रालय बन गया और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को देश में सीबीएम के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय के परामर्श से कोयलाधारी क्षेत्रों से सीबीएम ब्लॉकों की पहचान की है और इनकी पेशकश की है। कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति, 1997 के आंशिक संशोधन में, 2018 में भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारी क्षेत्रों से सीबीएम के अन्वेषण और दोहन का अधिकार प्रदान किया, जिनके लिए उनके पास कोयले के लिये खनन पट्टा है।

iv. सरकार कोयला वॉशरी स्थापित करके देश में कोकिंग कोयले के लाभ को भी बढ़ावा दे रही है।

(ड.): स्वच्छ कोयला भंडार का अनुमान लगाने के लिए कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं है। तथापि, दिनांक 01.04.2023 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल कोयला संसाधन 3,78,207.28 मि.ट. है।

(च): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने कोल बेड मीथेन (सीबीएम) बोली के I से IV दौर (2001, 2003, 2005 और 2008) शुरू किए, जिनमें से 8 ब्लॉक परिचालन में हैं और उत्पादन/विकास चरण में हैं। इन 8 ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 2430 वर्ग कि.मी. है। वर्ष 2021 में, भारत सरकार ने विशेष सीबीएम बोली दौर (एससीबीएम-21) शुरू किया और लगभग 3860 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करने वाले 4 सीबीएम ब्लॉक प्रदान किए। वर्तमान में, 12 सीबीएम ब्लॉक सक्रिय हैं, जिनमें से 5 उत्पादन चरण में हैं, 3 विकास चरण में हैं और 4 ब्लॉक (एससीबीएम-21 के दौरान प्रदान किए गए) अन्वेषण चरण के तहत हैं। इन 12 सक्रिय सीबीएम ब्लॉकों का कुल अनुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 480 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है, जिसमें से अक्टूबर, 2023 तक 6.13 बीसीएम सीबीएम का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 12 सक्रिय सीबीएम ब्लॉकों से सीबीएम उत्पादन का अनुमान क्रमशः 844 और 1133 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) है।

****